पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–04/2021 ज॰स॰– 143

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 25.10.2021

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 81.989 लाख (रूपये इक्यासी लाख अट्ठानबे हजार नौ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 63/12.02.2019; (Online A.A.-2097/12.02.2019)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19– नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50**S**47020079619000545	**81.989**
आवंटित राशि – रूपये इक्यासी लाख अट्ठानबे हजार नौ सौ मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष **2021–22** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 2700.00 लाख (सत्ताईस करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

अनुलग्नक–यथोक्त्।

25/10/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 143 रॉची, दिनांक :– 25.10.2021

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/जमशेदपुर/दुमका** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

25/10/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 143 रॉंची, दिनांक :– 25.10.2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

25/10/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 143   दिनांक 25.10.2021 का अनुलग्नक   परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
बजट उपबंध (2021–22) – रूपये 2700.00 लाख
विपत्र कोड– 50S47020079619000545

(राशि लाख रूपये में)

क्र॰		कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति – प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति – राशि	प्रशासनिक स्वीकृति – Online प्रसंग	एकरारनामा की राशि	मार्च 2021 तक व्यय	वर्ष 2021–22 में – पूर्व का आवंटन	वर्ष 2021–22 में – वर्तमान आवंटन	वर्ष 2021–22 में – कुल आवंटन	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRMIR001)	पू0 सिंहभूम	डुमरिया	रानीडिह में जुरिया लोकल नाला पर चेकडैम निर्माण।	63/2018-19 dt. 12.02.2019	79.867	2097 dt.12.02.2019	71.122	0.000	40.000	35.620	75.620	75.620	52917	
2	2		पू0 सिंहभूम	डुमरिया	जुरिया लोकल नाला पर चेकडैम निर्माण।		76.419		68.039	47.066	19.180	0.340	19.520	66.586		
3	3		पू0 सिंहभूम	पोटका	ग्राम हेसड़ा के निकट नागा नाला में चेकडैम निर्माण।		81.878		72.764	0.000	33.120	10.200	43.320	43.320		
4	4		पू0 सिंहभूम	पटमदा	चितईडीह (प्लासबगान) में स्थानीय नाला पर चेकडैम निर्माण		86.102		76.740	25.932	37.750	6.200	43.950	69.882		
5	5		पू0 सिंहभूम	जमशेदपुर	कैरों एवं गोराडीह के बीच स्थानीय नाला पर चेकडैम का निर्माण		103.981		97.044	0.000	59.900	9.000	68.900	68.900		
योग :–							428.247		385.709	72.998	189.950	61.360	251.310	324.308		
6	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKMIR001)	दुमका	जामा	गेनुवा मारनी जोरिया में चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	92.469	2097 dt.12.02.2019	80.427	35.798	39.000	5.629	44.629	80.427	52919	
7	2		दुमका	दुमका	भुरकुण्डा जोरिया पर चेकडैम निर्माण		90.959		80.653	48.622	0.000	15.000	15.000	63.622		
योग :–							183.428		161.080	84.420	39.000	20.629	59.629	144.049		
सकल योग :–							611.675		546.789	157.418	228.950	81.989	310.939	468.357		

आवंटित राशि – रूपये इक्यासी लाख अट्ठानबे हजार नौ सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(प्रशांत कुमार)
सचिव